प्रकरण संख्या 39/2024 प्रकाश पानेरी बनाम मोहनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के हिस्से की स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नंबर 954 रकबा 0.0500 हैक्टर, आराजी नंबर 955 रकबा 0.0500 हैक्टर, आराजी नंबर 1884/509 रकबा 0.0963 हैक्टर, आराजी नंबर 976 रकबा 0.0550 हैक्टर, आराजी नंबर 685 रकबा 0.0400 हैक्टर, आराजी नंबर 660 रकबा 0.0900 हैक्टर, आराजी नंबर 961 रकबा 0.1000 हैक्टर, आराजी नंबर 617 रकबा 0.1500 हैक्टर, आराजी नंबर 960 रकबा 0.0500 हैक्टर एवं आराजी नंबर 508 रकबा 0.0350 हैक्टर भूमि राजस्व ग्राम मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा में स्थित हैं। उक्त भूमियां पैत्रृक होकर मूल पुरूष भीमा पिता कनाराम जी के समय से चली आ रही हैं। उक्त सजरे अनुसार वादी के दादा वेणीराम जी के स्वर्गवास होने पर नामान्तरकरण वादी के पिता मोहनलाल के हिस्से अनुसार उनके नाम स्वीकृत हुआ, किन्तु मोहनलाल ने भू–माफियाओं से मिलकर उक्त भूमि विक्रय करने पर आमादा है, जबकि उक्त आराजियात पैत्रृक होने स प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से उसके हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने वाद में मुख्य दाद प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध चाही है। आराजी नंबर 954 रकबा 0.0500 हैक्टर, आराजी नंबर 955 रकबा 0.0500 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.1000 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है, क्योंकि दोनों आराजियात के सहखातेदार ने अपना हकत्याग पंजीकृत विलेख से प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है, जिसका नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो चुका है। इस प्रकार उक्त दोनों आराजियात दावा प्रस्तुत करने के दिन प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की हैं। इसी प्रकार आराजी नंबर 509 रकबा 3850 वर्ग	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:26 IST
Reason: SelfAttested

सन् 2007 में सभी भाईयों की सहमति से आपसी बंटवारा कर लिया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आराजी नंबर 1884/509 रकबा 0.0963 हैक्टर आयी है। इस प्रकार बंटवारा होने के बाद जो सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आयी है, वह उस व्यक्ति की स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जाती है, जिसमें वादी का कोई अधिकार नहीं बनता है तथा वादी को अपने पिता के जीवनकाल में वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। इस कारण वाद के अभाव में वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज योग्य होने से वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए वादी के अधिवक्ता ने बताया कि आराजी नंबर 954 रकबा 0.0500 हैक्टर, आराजी नंबर 955 रकबा 0.0500 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.1000 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होकर पैत्रृक सम्पत्ति है। उक्त आराजी के साबिक आराजी नंबर 808 होकर मूल खातेदार भीमा के नाम दर्ज थी और भीमा के फोत होने के बाद गणेशलाल, वेणीराम, तोलीराम व घासीराम के नाम दर्ज हुई है। तत्पश्चात् वेणीराम जो वादी के दादा थे, उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान तुलसीराम, गोपीलाल, मोहनलाल, निर्मल कुमार के नाम दर्ज हुई है और वादी मोहनलाल का पुत्र होने से उक्त पैत्रृक सम्पत्ति में वादी का भी हक हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात के सम्पूर्ण हिस्से का हक त्याग से दर्ज नहीं हुआ है। आराजी नंबर 509 रकबा 0.3850 हैक्टर भी भीमा के नाम दर्ज होकर विरासत से वादी के दादा वेणीराम के नाम दर्ज हुई है, तत्पश्चात् वादी के पिता मोहनलाल के नाम विरासत से दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 ने सुविधा के लिए बंटवारा करवाया है, जिससे बंटवारे के बाद आराजी नंबर 1884/509 रकबा 0.963 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आयी है। इस प्रकार समस्त आराजियात पैत्रृक होने से वादी का भी उक्त आराजियात में हक हिस्सा निहित है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 29.05.20[illegible] को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Songawat
Date: 2024.10.30 12:45:26 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.06.2024 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 36 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नागदा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 31 व 32 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 33 की ओर से अधिवक्ता श्री तारकेश्वर मोड़ उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 37 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र इस आधार पर स्वीकार किया कि वादी को अपने पिता के जीवनकाल में किसी प्रकार की दाद प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु विवादित आराजियात मौरूसी होने से अपीलान्ट/वादी का जन्म से हक अधिकार निहित है, लेकिन उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होने से उनके द्वारा नाजायज लाभ उठाकर विक्रय कर खुर्द-बुर्द करने पर उतारू हैं इसलिए रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं पिता के जीवनकाल में पुत्र को वाद लाने का अधिकारी नहीं मानते हुए वादी का वाद खारिज किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:26 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर

उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी अपने पिता के जीवनकाल में किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जबकि अपीलान्ट/वादी द्वारा अपने वाद में एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के जवाब में स्पष्ट अंकन किया है कि विवादित आराजियात पैत्रृक होकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरासत से दर्ज हुई है, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से उनके द्वारा विक्रय कर खुर्द बुर्द की जा रही हैं, जबकि उक्त आराजियात में वादी/अपीलान्ट का जन्म से हक अधिकार निहित है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर एवं तनकियात कायम कर साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आधार पर वादी को अपने पिता के जीवनकाल में किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना मानते हुए वादी का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है, क्योंकि यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि विक्रय कर खुर्द–बुर्द कर दी जाती है तो वादी/अपीलान्ट के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा एवं पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद बढ़ेगा।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 78/2024 निर्णय एवं डिक्री 29.05.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर एवं तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.09.2024 को उपस्थित रहें। तब तक पक्षकारान द्वारा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:26 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]पसिंह सांगावत)
[illegible] अधिकारी
एवं [illegible] राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर